न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 308 / 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023 / 505

प्रार्थीनी	बनाम	विप्रार्थी
श्रीमति सायरीदेवी पत्नि हेमाराम जाति कलबी,चौधरी निवासी कनाना तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.रतनसिंह पुत्र शिवजी 2.सुन्दर पुत्री कोजाराम 3.रणछोडसिंह पुत्र मांगीलाल 4.अजयपालसिंह पुत्र मोहनसिंह 5.उदयसिंह पुत्र वागसिंह 6.कानसिंह पुत्र भोपालसिंह 7.किशोरसिंह पुत्र भंवरसिंह 8.खमादेवी पत्नि भंवरसिंह 9.गुमानसिंह पुत्र भोपालसिंह 10.जेठुसिंह पुत्र भीमसिंह 11.जबरसिंह पुत्र धर्माजी 12.डाउसिंह पुत्र भीमाराम 13.तारा पुत्र अनाजी 14.तारादेवी पत्नि राणसिंह 15.दुर्गेश पुत्र धर्माजी 16.देवीसिंह पुत्र वगताजी 17.नरेन्द्रपालसिंह पुत्र मोहनसिंह 18.निम्बसिंह पुत्र वगताजी 19.नीम्बुसिंह पुत्र भीमाराम 20.पुखराज पुत्र धर्माजी 21.प्रेमसिंह पुत्र मांगीलाल 22.भैरूसिंह पुत्र गोरधनसिंह 23.भंवरसिंह पुत्र मांगीलाल 24.भीमसिंह पुत्र नेनसिंह 25.मनीष पुत्र भीमाराम 26.महेन्द्रसिंह पुत्र राणसिंह 27.मोहनसिंह पुत्र वगताजी 28.राजु पुत्र भीमाराम 29.राजेन्द्रसिंह पुत्र भोपालसिंह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

30.रामेश्वरसिंह पुत्र वगताजी

31.लालसिंह पुत्र राणसिंह

32.विरधा पुत्र सालुजी

33.शैतानसिंह पुत्र राणसिंह

34.शैतानसिंह पुत्र भीमाराम

35.सुआ देवी पत्नी वागसिंह

36.संगिता पुत्री वागसिंह

37.सजनकंवर पत्नी भीमाराम

38.साकू पत्नी भोपालसिंह

39.सीमाकंवर पत्नी मोहनसिंह

40.हरकंवर पत्नी वगता

41.हरीया कंवर पुत्री वागसिंह

जाति पुरोहित निवासी कनाना

तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

42.भंवरकंवर पत्नि ईश्वरदान

43.महेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह

44.राजेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह

जाति चारण निवासी पारलू तहसील

पचपदरा व जिला बालोतरा

45.सरपंच / ग्राम विकास अधिकारी

जरिए ग्राम पंचायत कानाना तहसील

पचपदरा व जिला बालोतरा

46.शाखा प्रबंन्धक,स्टेट बैंक ऑफ

इण्डिया,शाखा पारलु

47.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार

पचपदरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री जेठूलाल कुमावत अधिवक्ता प्रार्थीनी
2. विप्रार्थीगण एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 14/05/2022

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम कनाना तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 929/519 क्षेत्रफल 0.8094 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है.प्रार्थीनी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीनी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है.और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीनी द्वारा ग्राम कनाना तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 929/519 क्षेत्रफल 0.8094 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थीनी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीनी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम कनाना तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 929/519 क्षेत्रफल 0.8094हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीनी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है.वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीनी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है.और प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है.और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीनी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है.प्रार्थीनी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहा है। इस कारण प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम कनाना तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 929/519 क्षेत्रफल 0.8094 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम कनाना तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 929/519 क्षेत्रफल 0.8094 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीनी की खातेदारी में दर्ज है.जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीनी विवादित भूमि की रिकार्डड खातेदार है और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसकी प्रार्थीनी हकदार प्रतीत होती है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते है.जिसके

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

सार :–धारा 128 सीमा विवाद–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगे:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 11.06.2023 अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद होना प्रतीत होता है,ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में निहित प्रावधानो के तहत हस्तगत प्रकरण का निस्तारण न्यायालय हाजा से ही किया जाना है। विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी। वकील प्रार्थीनी अपने आवेदन पत्र को बखूबी साबित करने में सफल रहा है।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीनी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवानें की हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीनी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किए जाते है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 मे विहित प्रक्रिया के अनुसरण में प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम कनाना तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 929/519 क्षेत्रफल 0.8094 हैक्टेयर भूमि की सीमाज्ञान करवाकर नेखम स्थापित करें। उक्त कार्यवाही प्रार्थीनी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थीनी मौके पर अदा करेगी। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हो।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 14.05.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा